दसवीं अनुसूची और शिवसेना मामला: असहमति बनाम दल-बदल

करेंट अफेयर्स | 26 नवंबर 2026 | pcsmantra.in



मौलिक सांकेतिक चित्र

क्यों चर्चा में?

सर्वोच्च न्यायालय में शिवसेना के विभाजन से जुड़े मामले की सुनवाई जारी है। 25 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के सामने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रत्युत्तर (rejoinder) दलीलें रखीं। [1] केंद्रीय प्रश्न यह है कि किसी पार्टी के भीतर "असहमति" कहाँ ख़त्म होती है और संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत "दल-बदल" कहाँ शुरू होता है। [2]

पृष्ठभूमि

जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के कई विधायकों ने बग़ावत की, जिसके बाद महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई। [2] [5] 17 फ़रवरी 2023 को निर्वाचन आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और उसे पार्टी का चुनाव चिह्न दिया। [8] [2] मई 2023 में संविधान पीठ ने सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल मामले में फ़ैसला दिया। [5] इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी 2024 को शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य न ठहराने का निर्णय दिया। मुख्य याचिका इसी निर्णय को चुनौती देती है। [1] उद्धव ठाकरे की एक संबद्ध याचिका निर्वाचन आयोग के उसी आदेश को चुनौती देती है, जिसने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और चुनाव चिह्न आवंटित किया। [2] इस बीच 14वीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए प्रतिवादी पक्ष का तर्क है कि अयोग्यता की कार्यवाही अब निरर्थक हो गई है। [1]

मुख्य बिंदु

- **ठाकरे गुट का तर्क:** विधायी बहुमत किसी विधायक दल को "मूल राजनीतिक दल" नहीं बना देता। विधायक उसी पार्टी का सदस्य रहता है जिसने उसे उम्मीदवार बनाया। यदि "असहमति" की आड़ में दल बदलना मान लिया गया, तो कुछ विधायकों के सहारे भी चुनी हुई सरकारें गिराई जा सकेंगी। [1] [2]

- **समय का तर्क:** सिब्बल ने कहा कि विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से न्यायिक समीक्षा की शक्ति ख़त्म नहीं होती। अन्यथा सदस्य फ़ैसले में देरी कराकर कार्यकाल पूरा होने की प्रतीक्षा करेंगे और दसवीं अनुसूची का उद्देश्य ही विफल होगा। [1]
- **शिंदे गुट का तर्क:** The Hindu के अनुसार 18 नवंबर को शिंदे पक्ष ने, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता के माध्यम से, तर्क दिया कि नवंबर 2019 में भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ महा विकास अघाड़ी सरकार बनाना शिवसेना के उस विचारधारा-मंच से हटना था, जिसके आधार पर पार्टी ने वोट माँगे थे। [2]
- **स्थिति:** The Hindu के अनुसार पीठ दोनों याचिकाओं पर फ़ैसला सुरक्षित रख सकती है, जबकि बार बुलेटिन (Bar Bulletin, क़ानूनी समाचार पत्रिका) के अनुसार सुनवाई गुरुवार, 26 नवंबर को भी जारी रहेगी। फ़िलहाल सुनवाई जारी है और फ़ैसला नहीं आया है। [1] [2]

महत्व और चुनौतियाँ

महत्व: दसवीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन (1985) से जोड़ी गई थी। [3] इसके अनुसार पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने या पार्टी के निर्देश (व्हिप) के विरुद्ध मतदान करने पर सदस्य अयोग्य घोषित हो सकता है। 91वें संशोधन (2003) ने एक-तिहाई सदस्यों के "विभाजन" की छूट समाप्त कर दी। [4] अब केवल मूल राजनीतिक दल के "विलय" को, जिसे विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वीकार करें, संरक्षण है। किहोतो होलोहन (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के योग्य है। [6] सुभाष देसाई (2023) में कहा गया कि व्हिप राजनीतिक दल नियुक्त करता है, केवल विधायक दल नहीं। [5] [9]

चुनौतियाँ: अध्यक्ष अक्सर सत्ताधारी दल से आते हैं और निर्णय में वर्षों की देरी होती है। निर्वाचन आयोग (चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 का पैरा 15 [8]) और अध्यक्ष की समानांतर कार्यवाहियाँ परस्पर विरोधी नतीजे दे सकती हैं। आगे की राह में समय-सीमा (कीशम मेघचंद्र सिंह, 2020 में सामान्यतः तीन माह का सुझाव [7]), किसी निष्पक्ष तंत्र या न्यायाधिकरण से निर्णय और व्हिप को केवल विश्वास मत व धन विधेयक तक सीमित करने जैसे सुधार सुझाए जाते हैं। परीक्षा-पृष्ठभूमि के तौर पर देखें तो UPPCS जैसी परीक्षाओं के राजव्यवस्था खंड में दल-बदल विरोधी क़ानून और अध्यक्ष की भूमिका नियमित विषय रहे हैं।

परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य

बिंदु	तथ्य
दसवीं अनुसूची	52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985 [3]
"विभाजन" की छूट समाप्त	91वाँ संशोधन, 2003 (अब केवल दो-तिहाई "विलय" संरक्षित) [4]
अयोग्यता तय करने वाला	सदन का अध्यक्ष/सभापति (पैरा 6)
न्यायिक समीक्षा	किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्हू (1992) [6]
व्हिप किसका	राजनीतिक दल का, विधायक दल का नहीं: सुभाष देसाई (2023) [5] [9]
अध्यक्ष का विवादित निर्णय	10 जनवरी 2024 [1]
चुनाव चिह्न विवाद	निर्वाचन आयोग, चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 का पैरा 15 [8]

अभ्यास प्रश्न (प्रिलिम्स)

प्रश्न: संविधान की दसवीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया। 2. विधायक दल के एक-तिहाई सदस्यों का "विभाजन" आज भी अयोग्यता से सुरक्षा देता है। 3. अध्यक्ष के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

कौन-से कथन सही हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (b)

कथन 1 सही है: दसवीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 से जुड़ी। [3]

कथन 2 ग़लत है: 91वें संशोधन (2003) ने "विभाजन" का प्रावधान हटा दिया; अब केवल दो-तिहाई सदस्यों द्वारा स्वीकृत "विलय" संरक्षित है। [4]

कथन 3 सही है: किहोतो होलोहन (1992) में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायिक समीक्षा के योग्य बताया गया। [6]

मेंस प्रश्न (GS-II, 15 अंक)

दल-बदल विरोधी क़ानून का उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल पर रोक लगाना था, फिर भी "समूह दल-बदल" से चुनी हुई सरकारें गिर रही हैं। दसवीं अनुसूची की कार्यप्रणाली का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में:

दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन, 1985 [3]) का उद्देश्य और "असहमति बनाम दल-बदल" की मौजूदा बहस बताएँ।

मुख्य भाग में:

कमज़ोरियाँ लिखें: अध्यक्ष के निर्णय में देरी और पक्षपात के आरोप, दो-तिहाई "विलय" छूट का दुरुपयोग, और निर्वाचन आयोग व अध्यक्ष की समानांतर कार्यवाहियों के परस्पर विरोधी नतीजे; शिवसेना मामले (अध्यक्ष का 10 जनवरी 2024 का निर्णय) का संदर्भ जोड़ें।

निष्कर्ष में:

सुधार सुझाएँ: निर्णय की समय-सीमा (कीशम मेघचंद्र सिंह, 2020 [7]), निष्पक्ष तंत्र या न्यायाधिकरण से निर्णय, और व्हिप को केवल विश्वास मत व धन विधेयक तक सीमित करना।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: दसवीं अनुसूची किस आधार पर सदस्य को अयोग्य ठहराती है? उत्तर: पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने, या पार्टी के निर्देश के विरुद्ध बिना पूर्व अनुमति मतदान करने या मतदान से अनुपस्थित रहने पर, जब तक पार्टी 15 दिन में माफ़ न कर दे।

प्रश्न 2: शिवसेना मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी क्या तय किया है? उत्तर: अभी कुछ तय नहीं हुआ है। सुनवाई जारी है और अध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के निर्णय की वैधता पर फ़ैसला आना बाक़ी है।

PCSMANTRA.IN

स्रोत

1. https://thebarbulletin.com/supreme-court-maharashtra-political-defection-dispute/
2. https://www.thehindu.com/news/national/shifting-political-allegiance-under-guise-of-dissent-can-topple-elected-governments-uddhav-thackeray-tells-supreme-court/article71742539.ece
3. https://prsindia.org/files/parliament/discussion_papers/Anti-Defection%20Law%20Intent%20and%20Impact_0.pdf
4. https://indiankanoon.org/doc/121069574/
5. https://api.sci.gov.in/supremecourt/2022/20234/20234_2022_1_1502_44512_Judgement_11-May-2023.pdf
6. https://indiankanoon.org/doc/1686885/
7. https://indiankanoon.org/doc/102050163/
8. https://indianexpress.com/article/explained/explained-politics/shinde-led-fraction-gets-bow-arrow-symbol-election-commission-8451872/
9. https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-shiv-sena-eknath-shinde-gogawale-whip-leader-political-party-228514

यह लेख PCS Mantra की संपादकीय टीम ने उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर अपने शब्दों में लिखा है। परीक्षा से पहले आधिकारिक अधिसूचनाएँ ज़रूर जाँच लें। कवर इमेज प्रतीकात्मक है।

PCSMANTRA.IN